जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार

आदेश सं०— 1/पी०एम०सी०/विविध/180/2024—608 पटना, दिनांक – 05/8/24

नदियों/धारों/नहरों को पुनर्जीवित करने/उनकी जल वहन क्षमता बढ़ाने हेतु ली जाने वाली योजनाओं से संबंधित मानक संचालक प्रकिया

1. प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में अवस्थित नदियों/धारों का बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण हेतु प्रबंधन एवं नहरों का निर्माण, रख—रखाव, सम्पोषण, संधारण किया जाता है।

नदियों/धारों को जोड़ने/पुनर्जीवित करने की योजना अथवा नहरों की जल वहन क्षमता को बढ़ाने की योजना प्रांरभ करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण, योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन, पूर्व से निर्मित पुल—पुलिया की सुरक्षा, उपयोगिता एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय इत्यादि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से समुचित एवं सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए एक "मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure (SOP))" तैयार किया गया है।

1.1 नदी/धार:— वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण, जल निस्सरण, जलवायु परिर्वतन के प्रभाव को देखते हुए जल संकट से सुरक्षा, जलीय पारिस्थितिको के संतुलन/संवर्द्धन एवं राज्य सरकार के महत्वकांक्षी जल—जीवन—हरियाली अभियान के संयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई अंतःराज्यीय/अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजना एवं कई मृत प्रायः नदियों/धारों को पुनर्जिवित करने का कार्य कराया जा रहा है।

1.2 नहरः— नहरों में भी लाईनिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप नहरों में गाद जमने की समस्या घटेगी, नहर के निचले भाग में जल उपलब्धता बढ़ेगी, फलस्वरूप निचले भाग के नहरों के रिसेक्शनिंग की आवश्यकता होगी।

2. जल—वहन क्षमता संवर्द्धन संबंधी योजनाएं

विभिन्न जलीय श्रोतों के जल—वहन क्षमता संवर्द्धन के संबंध में निम्नांकित प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जायेगीः—

2.1 नदियों/धारों के जल—वहन क्षमता संवर्द्धन संबंधी योजनाएंः—

नदियों/धारों पर निम्नांकित दो प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जायेगीः—

2.1.1. **नदी जोड़/लिंक चैनल योजनाः**— बिहार की आवर्त्ती बाढ़ की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से नदी जोड़ योजनाओं का कार्यान्वयन व्यापक रूप से कराया जा रहा है एवं भविष्य में भी कराये जायेंगे। अंतरराज्यीय/अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजनाएँ राज्य के जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति बार—बार उत्पन्न होती है, जिससे बड़ी मात्रा में जान—माल का नुकसान होता है और फसलों को भी क्षति पहुंचता है। उत्तरी बिहार में आवर्त्ती बाढ़ की समस्याओं के समाधान के लिए नदी जोड़ योजना काफी सहायक होगी।

जलवायु परिवर्तन एवं वर्षापात की विषमता के कारण बाढ़ की समस्या और भी विकट हो गयी है। विगत दशकों के सापेक्ष्य नदियों में बाढ़ का अंतराल कम होता चला जा रहा है।

नदी जोड़ योजनाओं के कार्यान्वयन से विभिन्न प्रमुख नदियों को जोड़कर एक व्यापक जल नेटवर्क तैयार किया जा सकेगा, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अधिशेष जल को बाढ़ के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत कम जलश्राव वाली नदियों/धारों में Inter-basin transfer किया जा सकेगा, जिससे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आपदा न्यूनीकरण किया जा सकेगा। ऐसी योजना से दक्षिण बिहार की नदियों में भी एक नदी के जल को दूसरी नदी, जिसके जलग्रहण क्षेत्र में वर्षापात की कमी हो, में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

राज्यांतर्गत उक्त उद्देश्य से बागमती–शांतिधार–बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना, बागमती–बेलवाधार–बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना एवं गंडक–अकाली नाला (छाड़ी)–गंडकी–माही–गंगा नदी जोड़ योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से बागमती एवं गंडक नदी बेसीन के अधिशेष जल का Inter-basin transfer कर बाढ़ की विभिषिका को कम किया जायेगा।

2.1.2. नदियों/धारों को पुनर्जिवित करने की योजना

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षापात की मात्रा, समय एवं स्थान में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण राज्य की अनेक नदियाँ/धाराएं मृत प्राय हो गई हैं, फलस्वरूप जिन क्षेत्रों से ये नदियाँ/धाराएं गुजरती थी, उन क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। मृतप्राय हो चुकी नदियों के मार्ग में भूमि अतिक्रमण हो जाने से जल निकासी मार्ग संकुचित हो गया है जिसके कारण उन क्षेत्रों में बाढ़ के साथ–साथ जल जमाव की समस्याएं भी बढ़ी है। साथ ही इन क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में भू–जल स्तर में गिरावट के कारण पीने के जल की भी समस्या उत्पन्न हो रही है।

उक्त समस्याओं के निदान के लिए मृत प्राय नदियों/धारों को पुनर्जीवित करना एक प्रभावी एवं प्राकृतिक विकल्प है। ऐसी योजना के अंतर्गत, नदियों और धारों में जमे गाद की सफाई, उनकी गहराई बढ़ाना, उन पर हुए अतिक्रमण को हटाना और जल प्रवाह/जलवहन क्षमता संवर्द्धन कार्य कराया जाना है।

इससे बाढ नियंत्रण, जल निस्सरण एवं सिचाई का लाभ मिलने के साथ–साथ जल जमाव और सूखा की समस्याओं में कमी आयेगी और कृषि को भी लाभ होगा। योजना के कार्यान्वयन से प्रदूषण नियंत्रण के साथ–साथ पुराने आहर, तालाब की मरम्मत और नए तालाबों का निर्माण कर पानी का संचयन बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा पुनर्जीवित नदी तट पर वृक्षारोपण कर नदियों के किनारों को मजबूत एवं क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को पुनर्जीवित कर दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रयास से निकटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक–सामाजिक एवं पारंपरिक/धार्मिक पहलुओं परे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2.2 <u>नहरों के जल–वहन संवर्धन की योजना</u>

बिहार में नहरों के जल–वहन संवर्धन की योजनाएँ राज्य के जल संसाधन प्रबंधन और कृषि उत्पादन को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस योजना के अंतर्गत, पुरानी नहरों का पुनरुद्धार/लाईनिंग तथा नई नहरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नहरों की जल वहन क्षमता एवं राज्य की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। नहरों की लाईनिंग होने से नहरों में गाद जमने की समस्या घटेगी, जल प्रवाह की गति बढ़ेगी, नहर के निचले भागों में जल की उपलब्धता बढ़ेगी जिसके कारण निचले भाग के नहरों को रि–सेक्शन करने

की आवश्यकता होगी। योजना के कार्यान्वयन से नहरों के अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई सुविधा सुगम होगा।

3. प्रारंभिक सर्वेक्षण

3.1 अंतरराज्यीय/अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजनाओं, नहरों के जल–संवर्धन/विस्तारीकरण की योजनाओं तथा नदियों/धारों के पुनर्जीवीकरण योजनाओं के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण में निम्नांकित बिन्दुओं को अनिवार्य तौर पर आकलित किया जायः–

- धारा/जलश्राव की मात्रा, धारा के विभिन्न स्थलों पर अवस्थित Inlet बिन्दुओं आदि से संबंधित सूचनाएं और हाइड्रोलॉजिकल विशेषताएं (यथा संभावित Gradient आदि)
- राजस्व/Cadastral/Revisional मैप एवं खतियान के आधार पर प्रस्तावित रीच में नदी मार्ग की सरकारी भूमि की उपलब्धता/चिन्हित करना तथा भू–अर्जन की आवश्यकता संबंधी विवरणी
- उद्गम व संगम बिंदुओं की भौगोलिक स्थिति एवं योजना की तकनीकी संभाव्यता,
- नदी मार्ग के समीप बसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना,
- नदी भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति,
- विषयांकित नदियों/धारों/नहरों पर बने पुल/पुलियों की भौतिक एवं संरचनात्मक स्थिति, वाटर–वे, उनकी वर्तमान उपयोगिता की प्रारंभिक जांच।

नदी/धार के प्रारंभिक सर्वेक्षण हेतु प्र पत्र परिशिष्ट–I पर संलग्न है। पुल/पुलिया के सर्वेक्षण से संबंधित प्रपत्र परिशिष्ट– II पर संलग्न है।

3.2 प्रारंभिक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों का उपयोग विस्तृत सर्वेक्षण प्रारंभ करने में किया जायेगा। साथ ही प्राप्त सर्वेक्षण आंकडों के आधार पर प्रस्तावित योजना पर अवस्थित संरचनाओं/पुल/पुलिया के संबंध में निम्नांकित कार्रवाई की जायेगीः–

3.2.1. अंतरराज्यीय/अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजनाओं, नहरों के जल–संवर्धन/विस्तारीकरण की योजनाओं तथा नदियों/धारों के पुनर्जीवीकरण योजनाओं के प्रस्तावित खण्ड में अवस्थित सभी संरचनाओं की सूची एवं तत्संबंधी विवरणी विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–II) में तैयार किया जाएगा।

3.2.2. प्रस्तावित योजना के अंतर्गत अन्य विभागों द्वारा निर्मित संरचनाओं (पुल–पुलियों) से संबंधित सूचना संरचना के स्वामित्व वाले विभाग को प्रारंभिक सर्वेक्षण के उपरांत ही भेज दिया जायेगा ताकि उनके द्वारा भी प्रभावित संरचनाओं के संबंध में अग्रिम Planning/निर्णय लेने संबंधी आवश्यक कार्रवाई ससमय की जा सके (पत्र का नमूना परिशिष्ट–III)। इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन को भी दी जायेगी।

3.2.3. संबंधित विभाग के स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित कराते हुए मामले का निष्पादन कराया जायेगा।

3.2.4. इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर से निर्मित संरचनाओं (पुल–पुलियों) के प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त होने की स्थिति में इसे प्रस्तावित योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

3.3 प्रारंभिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मददगार होगी जिससे संभावित तकनीकी और संरचनात्मक समस्याओं को पहले से ही हल किया जा सकेगा।

4. <u>विस्तृत सर्वेक्षण</u>

4.1 बिहार में अंतरराज्यीय/अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजनाओं, नहरों के जल–संवर्धन/विस्तारीकरण की योजनाओं तथा नदियों/धारों के पुनर्जीवीकरण योजनाओं के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण के उपरांत विभागीय स्तर से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की जायेगी, जिसके पश्चात विस्तृत सर्वेक्षण प्रारंभ किया जायेगा।

4.2 विस्तृत सर्वेक्षण में योजना हेतु रुपांकण निर्धारित करने के निमित्त नदियों/धारों तथा उनपर निर्मित विभन्न संरचनाओं यथा पुल–पुलियों से संबंधित आवश्यक संरचनात्मक तथा जलीय आँकड़ों, क्षेत्र का विस्तृत टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

4.3 विस्तृत सर्वेक्षण में नदियों/धारों/नहरों के निम्नांकित बिन्दुओं को एकत्रित कर गहन अध्ययन किया जाना चाहिएः–

- वर्तमान भौतिक विशेषताएं एवं टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण,
- संबंधित नदी/धार/नहर से संबंधित पुराना रुपांकण एवं इतिहास
- लम्ब काट, आड़ी काट (Longitudinal-Section, Cross Section)
- उद्‌गम, संगम एवं निर्धारित अंतराल पर बिन्दुओं का विघटित तल (Reduced Level, R.L.)
- प्रस्तावित एलाइन्मेंट में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थल/संरचनाओं के महत्वपूर्ण आँकड़े,
- उद्‌गम बिन्दु पर उपलब्ध जल की मात्रा एवं विभिन्न Inlet बिन्दुओं संबंधी आंकडे,
- नदियों/धारों/नहरों का HFL/FSL, LWL] स्थल का NSL
- नदियों/धारों/नहरों पर अवस्थित संरचना के समीप Gauge-Discharge Curve,
- संरचना का General Arrangement Drawing आदि
- आवश्यक संरचनाओं का चयन, लोकेशन, प्रकार एवं तकनीकी मापदण्ड निर्धारण
- नदी मार्ग की सरकारी भूमि को चिन्हित करने हेतु कंक्रिट पोस्ट/पिलर नदी मार्ग पर स्थापित करा लिया जाना।

उक्त के आधार पर विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए।

5. <u>योजनाओं का सूत्रीकरण</u>

5.1 बिहार में अंतरराज्यीय/अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजनाओं, नदियों/धारों के पुनर्जीवीकरण एवं नहरों के जल–संवर्धन/विस्तारीकरण की योजनाओं हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन रुपांकण पर आधारित होने के साथ–साथ वृहद् एवं समावेशी होना चाहिए।

5.2 **रुपांकणः–** योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु वास्तविक स्थलीय स्थिति एवं आंकडों के आधार पर निर्धारित प्रावधानों के अनुरुप नमूना रुपांकण (Typical Design) किया जाना आवश्यक है, जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिएः–

- संबंधित IS Codes/Special Publications/Guidelines के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन,

- रुपांकित जलश्राव का निर्धारण, फल्ड राउटिंग, आदि
- विभिन्न बिन्दुओं पर अवस्थित Inlet बिन्दुओं के जलश्राव का आकलन हेतु समावेश
- जलश्राव प्रवाह नियंत्रित अथवा अनियंत्रित रखने की आवश्यकता,
- तत्सम्बन्धी संरचना (Offtake/Outfall) का रुपांकित जलश्राव के आधार पर नमूना रुपांकण,
- एलाईन्मेंट में अवस्थित पुल–पुलिया एवं विभिन्न प्रकार के संरचनाओं के आवश्यकतानुसार नवनिर्माण हेतु नमूना रुपांकण
- रुपांकित जलश्राव के अनुसार सेक्शन का निर्धारण

विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु संरचनाओं का नमूना रुपांकण (Typical Design) तैयार किया जायेगा एवं कार्यान्वयन के पूर्व रुपांकण के अनुसार कार्यकारी आरेखन तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराया जायेगा।

5.3 कार्यों का वर्गीकरणः– प्रारंभिक एवं विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित आँकड़ों के आधार पर विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए जिसमें कार्यों का मदवार वर्गीकरण एवं प्रावधान होना चाहिए यथाः–

5.3.1. मदवार वर्गीकरण–

A. Preliminary

B. Land - (i) Acquisition & Compensation
(ii) Rehabilitation and Resettlement

C. Works

D. Regulators & Measuring Devices

E. Falls

F. Cross Drainage Works

G. Bridges

H. Escapes

I. Navigation Works

J. Powerplant Civil Works

K. Buildings

L. Earthwork
(i) Earthwork; (ii) Lining and (iii) Service Road

M. Plantation

N. Tanks & Reservoirs

O. Miscellaneous

P. Maintenance

Q. Special T & P.

R. Communication

S. Power Plant & electrical Mechanical System

T. Water Supply Works.

U. Distributaries, minors and sub-minors

V. Water Courses

W. Drainage (to be clubbed with Environment)

X. Environment and ecology

Y. Losses on stock.

5.3.2. प्रस्तावित योजना के अंतर्गत तैयार किए गए मदवार विवरण के सारांश के रूप में अवयववार (Component-wise) विवरण के साथ तत्सम्बन्धी प्रावधानित राशि के साथ विवरणी भी सम्मिलित किया जायेगा।

5.4 **अनुदेश:–** विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं रुपांकण हेतु निम्नांकित अनुदेशों का अनुपालन अपेक्षित है:–

- जल संसाधन विभाग के Guidelines for the preparation of cost estimates (June, 2005)
- (https://wrd.bihar.gov.in/documents/books/costEstimate.pdf)

केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के–

- Guidelines for the preparation of DPR for Flood Management Works (April, 2018)
- Guidelines for preparation of Detailed Project Reports of Irrigation and Multipurpose Projects (2010)
- Handbook for Flood Protection, Anti erosion and River training works (https://wrd.bihar.gov.in/documents/guidelines/HandbookAntiErosion.pdf)

5.5 विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा/अनुपालन आवश्यक होगा:–

- राजस्व/Cadastral/Revisional मैप एवं खतियान के आधार पर प्रस्तावित रीच में नदी मार्ग की सरकारी भूमि की उपलब्धता/चिन्हित करना तथा भू–अर्जन की आवश्यकता संबंधी विवरणी
- नदियों/धारों/नहरों के आरेखित एलाइन्मेंट में पड़ने वाले स्थलों पर अतिक्रमण/भूमि विवाद की स्थिति
- प्रस्तावित रीच में पड़ने वाले संरचनाओं/पुल–पुलिया के संबंध में संबंधित विभाग से किया गया पत्राचार एवं तत्संबंधी स्थिति
- संरचनाओं के समीप रुपांकित जलश्राव के सापेक्ष्य उपलब्ध वाटर–वे की समीक्षा।
- संबंधित विभाग द्वारा संरचनाओं की उपयुक्तता अथवा पुनर्निर्माण के संबंध में की गयी समीक्षा एवं तत्संबंधी निष्कर्ष
- संरचनाओं के पुनर्निर्माण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्त्ति का स्रोत (यदि संरचना का पुनर्निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जाना हो)

उक्त सभी बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख विस्तृत योजना प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए।

5.6 प्रस्तावित योजना के तहत एलाईन्मेंट पर अन्य विभागों द्वारा निर्मित पुल–पुलिया संरचनाओं के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान सूचना देने (परिशिष्ट–III) के उपरांत आवश्यक कार्रवाई नही किये जाने की स्थिति में विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत योजना के रुपांकण के अनुसार यदि अन्य विभाग द्वारा निर्मित पुल/पुलिया को ध्वस्त कर नवनिर्माण की आवश्यकता हो तो प्रस्तावित योजना के विस्तृत योजना प्रतिवेदन मे इसे शामिल कर प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। प्रभावित पुल–पुलिया के पूर्व स्वामित्व वाले विभाग को ऐसे संरचना के ध्वस्त किये जाने एवं जल संसाधन विभाग द्वारा पुनर्निर्माण किये जाने की सूचना दे दी जायेगी।

6. योजनाओं का कार्यान्वयन

6.1 योजना के कार्यान्वयन के पूर्व/दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा/अनुपालन आवश्यक होगाः–

- सर्वप्रथम नदी मार्ग की सरकारी भूमि का पैमाईस कराकर सिमांकन हेतु कंक्रिट पिलर स्थपित करना।
- कार्यान्वयन के पूर्व रुपांकित नदी तल का लेवल जगह–जगह पर पूर्व से अवस्थित संरचनाओं के पियर/अबटमेंट पर पेंट के माध्यम से अंकित कराना।
- नदी रेखांकन भाग पर जगह–जगह अवस्थित पक्की संरचनाओं के समतल अवयव पर Temporary Bench Mark पेंट से अंकित करना।
- Temporary Bench Mark अंकित किए गए संरचनाओं पर प्रस्तावित योजना का रुपांकित बेड लेवल, रुपांकित सेक्शन के अनुसार बेड एवं टाप लेवल की चौड़ाई अंकित किया जाना।
- कार्यान्वयन के पूर्व नदी/धार का धरातल पर एलाईन्मेट Layout निर्धारित किया जाना (रेंजिंग रॉड, खूँटी, सुतली/धागा, चुना पाउडर का उपयोग कर)।
- गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुसार खुदाई कार्य किया जाना एवं अवस्थित संरचनाओं के सुरक्षार्थ सतर्कता रखा जाना।
- प्रस्तावित योजना के एलाईन्मेंट पर पूर्व से अवस्थित पुल/पुलियों को यदि यथारूप रखा जाना हो, तो उसके सुरक्षा की पूर्ण जवाबदेही संवेदक तथा कार्य के अभियंताओं की होगी। यदि पूर्व निर्मित पुल/पुलिया को ध्वस्त कर नयी संरचना का निर्माण प्रस्तावित हो, तो नयी संरचना के निर्माण तक पूर्व की संरचना को कार्यरत रखना संवेदक तथा कार्य के अभियंताओं की जवाबदेही होगी।
- खुदाई से प्राप्त मिटटी का समुचित उपयोग/डिस्पोजल।
- अन्य विभाग अथवा प्रस्तावित योजना के तहत पुनर्निर्माणाधीन संरचनाओं के अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम में मानक के अनुसार लम्बाई में संरचनाओं का निर्माण पूर्ण होने तक खुदाई नही किया जाना।

6.2 जल–वहन क्षमता संवर्द्धन योजनाओं का कार्यान्वयन निम्नांकित प्रकार से किया जायेगाः–

6.2.1. **अंतरराज्यीय नदी जोड़/लिंक चैनल योजनाः–** उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जायेगा। जल का Inter-basin transfer संबंधी

मामला सन्निहित होने के कारण यदि मनरेगा अथवा अन्य विभाग के द्वारा उक्त कार्य कराये जाने का प्रस्ताव हो तो जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6.2.2. **नदियों/धारों को पुनर्जिवित करने की योजनाः–** उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जायेगा। अन्य विभाग के द्वारा उक्त कार्य कराये जाने की स्थिति में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के द्वारा दिये जाने वाले निदेशों का अनुपालन अन्य विभाग के क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे कार्यों के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देते समय प्रस्तावित धारों का रूपांकित आड़ी काट दे दिया जायेगा।

6.2.3. **नहरों के जल–वहन संवर्धन की योजनाः–** उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जायेगा।

6.2.4. **मनरेगा अंतर्गत नहर उड़ाही की योजनाः–**

- वर्त्तमान में 20 क्यूसेक अथवा 20 क्यूसेक से कम क्षमता वाली नहरों के उड़ाही का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कराये जाने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में 20 क्यूसेक से अधिक क्षमता वाली नहरों को भी मनरेगा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
- मनरेगा अंतर्गत संपोषण/उड़ाही कार्य कराये जाने वाले नहरों की सूची में संबंधित नहर के नाम के साथ–साथ उसकी लम्बाई तथा नहर का अलग–अलग रीच के अनुसार उसका रुपांकित आड़ी काट (Cross-section) को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- मनरेगा अंतर्गत संपोषण/उड़ाही कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के कार्यकारी एजेन्सी के लिये आवश्यक होगा कि जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले प्रमंडल को अनिवार्य रुप से सूचित करें। संबंधित विभाग के द्वारा जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के पर्यवेक्षण में कार्य कराया जायेगा एवं दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- कार्य से संबंधित जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता तथा सहायक अभियंता की जवाबदेही होगी कि रुपांकित सेक्शन के अनुसार कार्य हो एवं नहर पर निर्मित संरचनाओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचे।

7. <u>सेतु/संरचना निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

7.1 अन्य विभागों द्वारा राज्य के नदियों/धारों/नहरों पर सेतु/संरचना निर्माण कराने के पूर्व जल संसाधन विभाग से विधिवत अघतन प्रकिया के तहत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7.2 बिना विभागीय पूर्वानुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी अन्य विभाग को नदियों/धारों/नहरों आदि पर किसी भी तरह की संरचना/अन्य कार्य नहीं करने दिया जाए।

7.3 किसी भी परिक्षेत्र में नदियों/धारों/नहरों आदि पर अन्य विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग से बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के कोई संरचना का निर्माण किये जाने की स्थिति

में इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित अभियंताओं (कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता) की होगी।

7.4 निर्मित संरचनाओं के सुरक्षा एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण करने वाले विभाग की होगी।

8. <u>अन्य विभागों/प्राधिकारों द्वारा निर्मित पुल– पुलियों/संरचनाओं का रख–रखावः–</u>

राज्य में समेकित जल प्रबंधन के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग सतत् प्रयासरत है तथा इस दिशा में व्यापक रुप से अंतरराज्यीय/अंतर्राज्यीय नदी जोड़ योजनाओं, नहरों के जल–संवर्धन की योजनाओं तथा नदियों/धारों के पुनर्जीवीकरण योजनाओं का कार्यान्वियन कराया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत् प्राकृतिक धारों के रि–सेक्शनिंग का कार्य कराया जा रहा है, ताकि मृतप्राय धारों को पुनर्जीवित किया जा सके तथा नहरों के जल वहन क्षमता में भी वृद्धि हो सके। नदियों/धारों/नहरों के रि–सेक्शनिंग के क्रम में पूर्व से निर्मित संरचनाओं/पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है। बिहार की नदियों और नहरों पर अन्य विभागों द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित नए पुलों/संरचनाओं के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किया जाना भी अतिमहत्वपूर्ण है। साथ ही नदियों/धारों/नहरों पर निर्मित पुल–पुलिया/संरचना का नियमित निरीक्षण तथा संपोषण/संधारण किया जाना आवश्यक है।

विभिन्न नदियों/धारों/नहरों पर अवस्थित पुल/पुलियों/ संरचनाओं के रख–रखाव, नियमित जांच, मरम्मति/संपोषण का दायित्व निर्माण करने वाले संबंधित विभाग यथा पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, आदि का ही होगा।

जल संसाधन विभाग के पुल/पुलियों/संरचनाओं के पुल/ पुलियों/संरचनाओं के रख–रखाव, नियमित जांच, मरम्मति/संपोषण का कार्य इस हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

नदियों/धारों/नहरों को पुनर्जीवित करने/उनकी जल वहन क्षमता बढ़ाने हेतु ली जाने वाली योजनाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन में अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

05/08/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांकः–1/पी०एम०सी०/विविध/180/2024–...608 पटना, दिनांक 5/8/24

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं ह०)/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05/08/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 1/पी०एम०सी०/विविध/180/2024–608 पटना, दिनांक 5/8/24

प्रतिलिपि –सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05/08/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 1/पी०एम०सी०/विविध/180/2024–608 पटना, दिनांक - 05/8/24

प्रतिलिपि – सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

05/08/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 1/पी०एम०सी०/विविध/180/2024–608 पटना, दिनांक - 05/8/24

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/08/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 1/पी०एम०सी०/विविध/180/2024–608 पटना, दिनांक - 5/8/24

प्रतिलिपि सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव जल संसाधन विभाग/स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, काठमाण्डू (नेपाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05/08/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 1/पी०एम०सी०/विविध/180/2024–608 पटना, दिनांक- 5/8/24

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेब साईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से पत्र भेजने हेतु प्रेषित ।

05/08/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रपत्र (नदी/धार से संबंधित)

नदियों/धारों को पुनर्जीवित करने की योजना

नदी/धार का नामः–

उद्गम स्थल/संगम स्थल (विसर्जन बिन्दु):–

क्र0	लोकेशन (कि0मी0)	विशेषताएँ
1	**2**	**3**
1	0-00 Km	• नदी की चौड़ाई (m):– • जलश्राव (cusec):– • स्थानीय पुछ–ताछ से नदी (सरकारी) जमीन की चौड़ाई (m):– • नदी तल का R.L.:– • पुल/पुलिया/अतिक्रमण की स्थितिः– • पुल/पुलिया के स्वामित्व वाले विभाग का नाम एवं उसकी भौतिक स्थितिः– • दायें/बायें से मिलने वाली अन्य नदी/धार का नाम/जलश्राव इत्यादिः– • अतिक्रमण की स्थिति (यथा, झोपड़ी पक्का मकान, दुकान, बाजार, बगीचा इत्यादि):– • दायाँ/बायाँ तट (अतिक्रमण की लं0, चौ0 इत्यादि):– • विसर्जन बिन्दु पर नदी/धार की चौड़ाई, तल का त्ल्स, जलश्रावः– • नदी धार का ढ़ाल (Gradient):– • आदिः–
2	.... Km	
3	.... Km	
4	.... Km	
5	.... Km	

नोटः– यह प्रपत्र नमूना है। इसी प्रकार नदी/धार की पूरी लंबाई में उक्त वर्णित विशेषताओं मे से स्थल के अनुरुप आवश्यक प्रारंभिक आँकड़ा एकत्र करना है। विशेष कर जहाँ–जहाँ कोई अन्य नदी/धार मिलती है, जहाँ अतिक्रमण की स्थिति हो। निर्मित पुल/पुलिया की स्थिति (नीवं, उपरी संरचना, जलमार्ग, उस पुल/पुलिया से जुड़ा हुआ सड़क का महत्व आदि)।

परिशिष्ट - II

जल संसाधन विभाग द्वारा नदी पर निर्मित पुलों का स्थल निरीक्षण का चेकलिस्ट (Inspection Checklist) प्रपत्र।

निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम–		:	
निरीक्षण की तिथि–		:	
	नदी का नाम	:	
	नदी का रूपांकित जलश्राव	:	
	लोकेशन कि०मी० में	:	
	Latitude -	:	Longitude
	पुल का प्रकार	:	
	पुल की Connectivity की स्थिति		
	पहुँचपथ की स्थिति		
	सड़क का नाम एवं उसका प्रकार	:	
	पुल से लाभान्वित गाँव का नाम	:	
	उपयोगिता		

क्र० सं०	संरचना के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा अंकित किया गया।		
1	Foundation का प्रकार एवं स्थिति	:	
2	Pier की संख्या एवं स्थिति	:	
3	Abutment की स्थिति	:	
4	Deck-slab की स्थिति	:	
5	Parapet वॉल की स्थिति	:	
6	Approch Slab की स्थिति	:	
7	Approch Road की स्थिति	:	
8	Guide Bandh /Wing Wall की स्थिति	:	
9	पुल के संपोषण की स्थिति	:	
10	संपूर्ण संरचना के बारे में अन्य मंतव्य	:	
11	इस पुल को हटा के नया पुल बनाने के संबंध में मतव्य		

उपर्युक्त मंतव्य के साक्ष्य के लिए पुल का फोटोग्राफ संलग्न किया जाय

विशेष सुझाव–(यदि है तो) :–

कार्यपालक अभियंता

परिशिष्ट - II

नदी पर अन्य विभागों द्वारा निर्मित पुलों का स्थल निरीक्षण का चेकलिस्ट (Inspection Checklist) प्रपत्र।

निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम–		:	
निरीक्षण की तिथि–		:	
	नदी का नाम	:	
	नदी का रूपांकित जलश्राव	:	
	लोकेशन कि०मी० में	:	
	Latitude -	:	Longitude
	संरचना स्वामित्व वाले विभाग का नाम		
	पुल का प्रकार	:	
	पुल की Connectivity की स्थिति		
	पहुँचपथ की स्थिति		
	सड़क का नाम एवं उसका प्रकार	:	
	पुल से लाभान्वित गाँव का नाम	:	
	उपयोगिता		

क्र० सं०	संरचना के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा अंकित किया गया।		
1	Foundation का प्रकार एवं स्थिति	:	
2	Pier की संख्या एवं स्थिति	:	
3	Abutment की स्थिति	:	
4	Deck-slab की स्थिति	:	
5	Parapet वॉल की स्थिति	:	
6	Approch Slab की स्थिति	:	
7	Approch Road की स्थिति	:	
8	Guide Bandh /Wing Wall की स्थिति	:	
9	पुल के संपोषण की स्थिति	:	
10	संपूर्ण संरचना के बारे में अन्य मंतव्य	:	
11	इस पुल को हटा के नया पुल बनाने के संबंध में मतव्य		

उपर्युक्त मंतव्य के साक्ष्य के लिए पुल का फोटोग्राफ संलग्न किया जाय

विशेष सुझाव–(यदि है तो) :–

कार्यपालक अभियंता

(परिशिष्ट–III)

पत्रांक–.....................

(स्थान), दिनांक–

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
(प्रमंडल का नाम)
जल संसाधन विभाग, (स्थान)

प्रेषक,

(कार्यपालक अभियंता का नाम)
कार्यपालक अभियंता,
(प्रमंडल का नाम)

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
(प्रमंडल का नाम)
(संबंधित विभाग का नाम)।

विषयः– ***(जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र का नाम) परिक्षेत्राधीन (जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमंडल का नाम) अंतर्गत प्रस्तावित (योजना का नाम) पर अवस्थित संरचनाओं के संबंध में।***

प्रसंगः– ***नदियों/धारों/नहरों को पुनर्जीवित करने/ उनकी जल वहन क्षमता बढ़ाने हेतु ली जाने वाली योजनाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (जुलाई, 2024)***

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि (जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र का नाम) परिक्षेत्राधीन (जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमंडल का नाम) अंतर्गत (योजना का नाम) प्रस्तावित है, जिसके तहत् (नदी/धार/नहर का नाम) नदी/धार/नहर पर कार्य कराया जाना है। प्रस्तावित कार्य के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

1. कार्य का स्वरुप :–
2. योजना की प्रमुख विशिष्टियाँ (Salient Features) :–

वर्णित योजना के प्रस्तावित खण्ड में आपके विभाग से संबंधित संरचनाएँ अवस्थित जिसकी विवरणी निम्नवत् तालिकाबद्ध हैः–

क्र0	संरचना का प्रकार	संरचना का स्थल (चैनेज सहित)	प्रखंड	जिला	अभियुक्ति

अनुरोध है कि, आपके कार्यक्षेत्र अंतर्गत योजना के प्रस्तावित खण्ड में अवस्थित सभी संरचनाओं के स्थलीय स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के आलोक में संरचनाओं की उपयुक्तता/ संरचनात्मक सुरक्षा से संतुष्ट हो लिया जाय तथा आवश्यकतानुसार संरचना की विशेष मरम्मति/ नव–निर्माण का आकलन कर लिया जाए। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के साथ–साथ आपके विभाग के संरचना का अपेक्षित सुधार कर लिया जाय ताकि आवागमन पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़े। साथ ही अवस्थित संरचनाओं की उपयुक्तता/ संरचनात्मक सुरक्षा की समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन एवं आपके स्तर से किये जाने वाली कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
(प्रमंडल का नाम)